

प्रेषक,

आनन्द प्रकाश उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

जौनपुर / गाजीपुर / भदोही / अम्बेडकर नगर / उन्नाव / हरदोई /
फिरोजाबाद / काशीरामनगर / एटा / कन्नौज / बलरामपुर / शाहजहाँपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2011

विषय: वर्ष 2010-11 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-4024 / 1-10-2010-14(63) / 2010 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 जोकि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-34 / 2007-एन0डी0एम0आई0 दिनांक 24 जून, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाईन के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accommodation, Food, Clothing, Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन / निराश्रित / असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु0 1,00,000 / - (रुपये एक लाख मात्र) प्रति तहसील की दर से कुल धनराशि रु0-49,00,000 / - (रुपये उनचास लाख मात्र) निम्नानुसार जनपदों को संबंधित जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क0सं0	जनपद का नाम	तहसीलों की संख्या	आवंटित धनराशि
1.	जौनपुर	6	600000
2.	गाजीपुर	5	500000
3.	संतरविदासनगर	3	300000
4.	अम्बेडकरनगर	5	500000
5.	उन्नाव	5	500000
6.	हरदोई	5	500000
7.	फिरोजाबाद	4	400000

8.	कांशीरामनगर	3	300000
9.	एटा	3	300000
10.	कन्नौज	3	300000
11.	बलरामपुर	3	300000
12.	शाहजहांपुर	4	400000
कुल योग		49	4900000

1- उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीत लहर से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी0आर0एफ0 गार्ड लाईन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाये इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के आभाव में न हो।

2- व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, कय की रसीद, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4- आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनोदश संख्या-जी0आई0-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6- आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2011 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahataup.nic.in/rahata2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 तक शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

7- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

8- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या - 163/1-10-2010-12(34)/2003 (टी0सी0) दिनांक: 21 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।